

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, सामान्य वन मण्डल, बड़वानी म.प्र.

E-mail Address—dfot.bdw@mp.gov.in Phone Number 07290-222038 Pin code 451-551

क्रमांक/तकनीकी/2024/ 305
प्रति,

बड़वानी, दिनांक 15-01-24

परियोजना निदेशक,

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)

प्लॉट नं. 66'67, सिद्धि विनायक कालोनी,

दादाजी कॉलेज के पास इन्दौर रोड़ खण्डवा (म.प्र.) 450001

विषय :- खण्डवा एवं बुरहानपुर जिले में भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 753L के तहत बोरगांव बुजूर्ग से मुक्ताईनगर फोरलेन मार्ग निर्माण/चौड़ीकरण हेतु वन मण्डल खण्डवा की 10.6681 हेक्टेयर एवं वन मण्डल बुरहानपुर की 76.9028 हेक्टेयर कुल 87.5709 हेक्टेयर वन भूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, खण्डवा को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ:- 1.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्ष(वन-भू अभिलेख)म.प्र.भोपाल का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/एफ-5/1351/2023/10-11/24 भोपाल दिनांक 01.01.2024
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्ष(वन-भू अभिलेख)म.प्र.भोपाल से दिनांक 15.01.2024 को दुरभाष पर चर्चा अनुसार

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र से प्राप्त भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, का पत्र क्रमांक/6-MPR 038/2023-BHO दिनांक 29.12.2023 द्वारा विषयांकित प्रकरण की प्रथम चरण सैद्धांतिक शर्त स्वीकृति जारी की गई है।

स्वीकृति पत्र में उल्लेखित शर्तों के अनुसार वनमण्डल(सामान्य) बड़वानी के अन्तर्गत प्रस्तावित वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना हेतु निम्नानुसार राशि जमा की जाना है :-

शर्त क्रमांक-B(2) के पालन में वैकल्पिक वृक्षारोपण की कुल राशि रुपये **19848546/- (अक्षरी रुपये एक करोड़ अठान्णवे लाख अड़तालीस हजार पाँच सौ छियालीस रुपये मात्रा जमा की जाना है।**

उपरोक्त कुल राशि रुपये **19848546/- (अक्षरी रुपये एक करोड़ अठान्णवे लाख अड़तालीस हजार पाँच सौ छियालीस रुपये मात्रा) कैम्पा मद में ऑनलाईन ई पोर्टल के माध्यम से जमा की जावे**

अतः उपरोक्तानुसार भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित अनुसार राशि ऑनलाईन जमा कर रसीद वेब पोर्टल पर अपलोड कर एक प्रति इस कार्यालय को भिजवाएँ ताकि, प्रकरण में भारत सरकार से औपचारिक स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही हेतु संबंधित वन मण्डल को लेख किया जा सकें।

(एस.एल.भार्गव)

भा.व.से.

वन मण्डल अधिकारी

सामान्य वन मण्डल बड़वानी

बड़वानी, दिनांक 15-01-24

पृ. क्रमांक/तकनीकी/2024/ 306

प्रतिलिपि:- 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्ष(वन-भू अभिलेख)म.प्र.भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/एफ-5/1351/2023/10-11/24 भोपाल दिनांक 01.01.2024 एवं दिनांक 15.01.2024 को दुरभाष पर चर्चा के पालना मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

2. मुख्य वन संरक्षक खण्डवा वृत्त खण्डवा की ओर सूचनार्थ।

3. वन मण्डल अधिकारी, बुरहानपुर की ओर उपरोक्त संदर्भित पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

वन मण्डल अधिकारी

सामान्य वन मण्डल बड़वानी



कार्यालय
वनमंडलाधिकारी
बुरहानपुर म.प्र.

Tel. No - 07325-251280

EMail - dfotbpur@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./2024/ 92

दिनांक / 11 JAN 2024

प्रति

परियोजना निदेशक,

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

प्लॉट नं. 66-67 सिद्धी विनायक कॉलोनी

दादाजी कॉलेज के पास इंदौर रोड खण्डवा



12/11/24
DMG/Ram
putup.

विषय:- खण्डवा एवं बुरहानपुर जिले में भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 753L के तहत बोरगांव बुजुर्ग से मुक्ताईनगर फोरलेन मार्ग निर्माण/चौड़ीकरण हेतु वन मण्डल खण्डवा की 10.6681 हेक्टेयर एवं वन मंडल बुरहानपुर की 76.9028 हेक्टेयर कुल 87.5709 हेक्टेयर वनभूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, खण्डवा को उपयोग पर देने बाबत। (प्रकरण क्रमांक/ FP/MP/ROAD/156438/2022)

संदर्भ:- अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्र./एफ-5/1351/2023/10-11/24 दि.03.01.2024

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र के संलग्न भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के पत्र क्रमांक/6-एमपीआर/038/2023-बीएचओ दिनांक 29.12.2023 का अवलोकन करें, जिसके माध्यम से खण्डवा एवं बुरहानपुर जिले में भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 753L के तहत बोरगांव बुजुर्ग से मुक्ताईनगर फोरलेन मार्ग निर्माण/चौड़ीकरण हेतु वन मण्डल खण्डवा की 10.6681 हेक्टेयर एवं वन मंडल बुरहानपुर की 76.9028 हेक्टेयर कुल 87.5709 हेक्टेयर वनभूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, खण्डवा को उपयोग पर देने हेतु प्रथम चरण की सैद्धांतिक सशर्त अनुमति जारी की गई है।

संदर्भित पत्र में दर्शित शर्तों के अनुसार निम्नानुसार राशि आनलाईन कैम्पा मद में जमा करावें।

क्र.	मद	रकबा (हेक्टेयर में)	घनत्व (Densty)	ईको क्लास श्रेणी	राशि	रिमांक(यदि कोई हो तो)
1	नेट प्रजेण्ट वैल्यु	63.9292	0.4	III	61230109.176	—
2		12.9736	0.5	III	15939235.224	—
योग:—		76.9028	—	—	77169344.400	—
3	वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि	25.00	—	—	20397497.000	—
योग:—		25.00	—	—	20397497.000	—

उपरोक्तानुसार राशि कैम्पा मद में आनलाईन जमा करावें तथा संदर्भित पत्र में दर्शित शर्त क्र. 06 में दिये गये निर्देशानुसार प्रभावित वनभूमि जो मुख्य वन भूमि से अलग हो रही है, ऐसे वनभूमि के सभी टुकड़ों के लिए एक साइट विशिष्ट वृक्षारोपण योजना तैयार कर राशि जमा करने हेतु पृथक से लेख किया जायेगा। साथ ही वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वनभूमि व्यपर्वतन के संबंध में जिला कलेक्टर से प्रमाण पत्र के साथ संदर्भित पत्र में दर्शित समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

वनमंडलाधिकारी

बुरहानपुर म.प्र.

...1...

प्रतिलिपि-

1. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) वन भवन तुलसी नगर म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. मुख्य वनसंरक्षक, खण्डवा वृत्त, खण्डवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. उपवनमंडलाधिकारी बुरहानपुर/नेपानगर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

4. वनपरिक्षेत्राधिकारी बुरहानपुर/नेपानगर/असीर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित । संदर्भित पत्र में दर्शित शर्त क्र. 06 में दिये गये निर्देशानुसार प्रभावित वनभूमि जो मुख्य वन भूमि से अलग हो रही है, ऐसे वनभूमि के सभी टुकड़ों के लिए एक साइट विशिष्ट वृक्षारोपण योजना तैयार करें जिसमें 10 वर्षों तक वृक्षारोपण रखरखाव हो तथा ऐसे वनखंडों के चारों ओर मजबूत गेट युक्त सुरक्षा दीवार जिसकी मोटाई 14" इंच हो एवं सिचाई की व्यवस्था हो योजना तैयार कर भेजना सुनिश्चित करें ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।


वनमंडलाधिकारी
बुरहानपुर म.प्र.

कायोलय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल खण्डवा (म.प्र.)

दूरभाष क (0733)-2223244 फोक्स क (0733) 2224531 ई-मेल dfot.khd@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / 2024 / 20
प्रति,

खंडवा, दिनांक 3/01/2024

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
प्लॉट नं. 66-67 सिद्धि विनायक कॉलोनी
दादाजी कॉलेज के पास इंदौर रोड खण्डवा

विषय:-

खण्डवा एवं बुरहानपुर जिले में भारतमाला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 753L के तहत बोरगांव बुजुर्ग से मुक्ताईनगर फोरलेन मार्ग निर्माण/चौड़ीकरण हेतु वनमण्डल खण्डवा की 10.6681 हेक्टेयर एवं वनमण्डल बुरहानपुर की 76.9028 हेक्टेयर, कुल 87.5709 हेक्टेयर वनभूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, खण्डवा को उपयोग पर देने बाबत।

Online Proposal No. (FP/MP/ROAD/156438/2022)

संदर्भ:- अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल का पत्र
क्रमांक/एफ-5/1351/2023/10-11/24 भोपाल दिनांक 01.01.2024

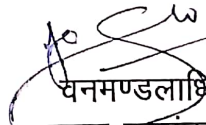
---000---

उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भ में लेख है कि खण्डवा एवं बुरहानपुर जिले में भारतमाला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 753L के तहत बोरगांव बुजुर्ग से मुक्ताईनगर फोरलेन मार्ग निर्माण/चौड़ीकरण हेतु वनमण्डल खण्डवा की 10.6681 हेक्टेयर एवं वनमण्डल बुरहानपुर की 76.9028 हेक्टेयर, कुल 87.5709 हेक्टेयर वनभूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, खण्डवा को उपयोग पर देने के संबंध में संदर्भित पत्र द्वारा प्रकरण में सैध्दांतिक स्वीकृति जारी की गई है। संदर्भित पत्र में दर्शित शर्तों के अनुसार निम्नानुसार राशियाँ ऑनलाईन कैम्पा मद में जमा कराने की कार्यवाही की जावे:-

क्र.	मद	रकबा (हेक्टेयर में)	घनत्व (Density)	ईको क्लास श्रेणी	राशि	रिमार्क (यदि कोई हो तो)
1	नेट प्रजेण्ट वैल्यू	10.6681	0.5	III	1,31,06,721/-	-

उपरोक्तानुसार राशि कैम्पा मद में ऑनलाईन जमा कराते हुए वन अधिकार अधिनियम के प्रमाण पत्र के साथ संदर्भित पत्र में दर्शित समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन टेबुलर फार्म में प्रस्तुत करे।

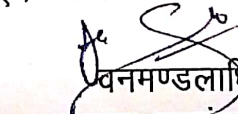
संलग्न:- उपरोक्तानुसार


वनमण्डलाधिकारी,
सामान्य वनमंडल खंडवा
खंडवा, दिनांक 3/01/2024

पृष्ठांकन क्रमांक / मा.चि. / 2024 / 21

प्रतिलिपि :-

- 1- अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) वन भवन तुलसी नगर म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- मुख्य वनसंरक्षक खण्डवा वृत्त खण्डवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- कलेक्टर जिला खण्डवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- उपवनमण्डलाधिकारी खण्डवा सामान्य की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


वनमण्डलाधिकारी,
सामान्य वनमंडल खंडवा

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल, खरगोन

दूरभाष : (07282) 233982, फ़ैक्स : 235388, ई-मेल : dfotkgone@mp.gov.in

क्रमांक/तकनीकी/2024/348

खरगोन, दिनांक - 05/01/24

प्रति,

परियोजना निर्देशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
प्लॉट नं. 66, 67 सिद्धि विनायक कॉलोनी
दादाजी कालेज के पास इन्दौर रोड़ खण्डवा

विषय :- खण्डवा एवं बुरहानपुर जिले में भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 753L के तहत बोरगांव बुजुर्ग से मुक्ताई नगर फोरलेन मार्ग निर्माण/चौडीकरण हेतु वनमण्डल खण्डवा की 10.6681 हे. एवं वनमण्डल बुरहानपुर की 76.9028 हे. कुल 87.5709 हे. वनभूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, खण्डवा को उपयोग पर देने बाबद्।

संदर्भ:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-5/1351/2023/10-11/24 दिनांक 01.01.2024।

—:—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के संलग्न भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के पत्र क्रमांक/6-एमपीआर/038/2023-बीएचओ दिनांक 29.12.2023 का अवलोकन करें, जिसके माध्यम से प्रकरण की प्रथम चरण की सैद्धांतिक सशर्त स्वीकृति जारी की गई है।

स्वीकृति में उल्लेखित शर्तों के अनुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की राशि ऑनलाईन कैम्पा मद में ई-पोर्टल में जमा करने हेतु वनमण्डल से पत्र जारी करने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः निर्देशानुसार वनमण्डल खरगोन के परिक्षेत्र भीकनगांव के कक्ष क्रमांक-972 रकबा 50.00 हे. की वैकल्पिक वृक्षारोपण की कुल राशि रुपये 25019746/- (रुपये दो करोड़ पचास लाख उन्नीस हजार सौ छियालिस मात्र) एवं कक्ष क्रमांक-1002 रकबा 80.00 हे. के वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि रुपये 41397080/- (रुपये चार करोड़ तेरा लाख सन्तान्वे हजार अस्सी मात्र) इस प्रकार कुल राशि रुपये 66416826/- (रुपये छः करोड़ चौसठ लाख सोल्ह हजार आठ सौ छब्बीस मात्र) जमा कराकर पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत करें, ताकि तदनुसार वरिष्ठ को अवगत कराया जा सकें।

प्रशांत कुमार सिंह
(भा.व.से.)

वनमण्डलाधिकारी,

सामान्य वनमण्डल खरगोन

खरगोन, दिनांक - 05/01/24

पृ. क्रमांक/तकनीकी/2024/349

प्रतिलिपि:-1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) वनभवन म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2. मुख्य वन संरक्षक, खण्डवा वृत्त, खण्डवा की ओर सूचनार्थ।

3. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, खण्डवा/बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वनमंडलाधिकारी

सामान्य वनमण्डल खरगोन

05.01.24